रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271474
CG-DL-E-31032026-271474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2026/चैत्र 10, 1948
No. 222]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2026/CHAITRA 10, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

आयकर

सा.का.नि. 241(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 183 के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियमावली, 2026 को आगे संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात: —

1. (1) इन नियमों को आयकर (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत होंगे।

2. आयकर नियमावली, 2026 के नियम 128 में, -

क) उप-नियम (1)(घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(घ) किसी भी व्यक्ति को ऐसे निवेशों के हस्तांतरण से होने वाली या उत्पन्न होने वाली, या हुई या उत्पन्न हुई मानी जाने वाली, या प्राप्त हुई या प्राप्त हुई मानी जाने वाली कोई भी आय, जो उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए गए थे।”;

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(2) अध्याय XI के उपबंध किसी भी व्यवस्था पर लागू होंगे, चाहे वह इस व्यवस्था से प्राप्त कर संबंधी लाभ के संबंध में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद की तारीख को की गई हो, सिवाय उस आय के जो ऐसे निवेशों के हस्तांतरण से प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, या किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है या प्राप्त होने का अनुमान लगाया जाता है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए गए थे।

[अधिसूचना सं. 55/2026/फा. सं. 370142/15/2026-टीपीएल]

रोहित सिंह, अवर सचिव, टीपीएल-I, सीबीडीटी

नोट : आयकर नियमावली, 2026 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में के संख्या सा.का.नि. 198 (अ) दिनांक 20 मार्च, 2026 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026.

INCOME-TAX

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by section 533 read with section 183 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules to amend the Income-tax Rules, 2026, namely: —

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st April, 2026.

2. In the Income-tax Rules, 2026, in rule 128, —

(a) for sub-rule (1)(d), the following shall be substituted, namely: —

“(d) any income accruing or arising to, or deemed to accrue or arise to, or received or deemed to be received by, any person from transfer of such investments which were made before the 1st April, 2017 by such person.”;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(2) The provisions of Chapter XI shall apply to any arrangement, irrespective of the date on which it has been entered into, in respect of the tax benefit obtained from the arrangement on or after the 1st April, 2017, except for that income which accrues or arises to, or deemed to accrue or arise to, or is received or deemed to be received by, any person from transfer of such investments which were made before the 1st April, 2017 by such person.”.

[Notification No. 55/2026/F. No. 370142/15/2026-TPL]

ROHIT SINGH, Under Secy. TPL-I, CBDT

Note : The Income-tax Rules, 2026 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 198(E), dated the 20th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.03.31 21:55:35 +05'30'